भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

OFFICE ORDER NO. 84 OF 2020

Sub: Formation of Prosecution Cell in Board's Office

Subsequent to bifurcation of Prosecution Cadre from RPF as per Board's Letter No. 2012E(GC)13-2 (67) dated 12.06.2019, it has been decided to create a Prosecution Cell in Board's Office. The Cell would work under JS(C) and would be responsible for handling all establishment and the other administrative functions of Prosecution Cadre. However, Establishment and the other administrative functions on the Zonal Railways will be looked after by the administrative side of the Railways/Divisions. Secretariat assistance to Prosecution Cell would be provided by SCC under JS(C).

1.1 The Cadre Controlling Authority of the Prosecution Cadre will be the Secretary/Railway Board. However, for the technical matters, they will be under Legal Advisor/Railway Board.

2. This issues with the approval of the Competent Authority.

(B. Majumdar)
Joint Secretary/ Railway Board

No. 2020/O&M/2/6
Dated:-30.12.2020

All Officers and Branches in Board's office.

Copy to :

i) **Chairman & CEO Railway Board**
ii) **MF, M/Infra, M/TRS, M/O&BD**
iii) **Secretary, Railway Board.**
iv) **JS/C**

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

<u>2020 का कार्यालय आदेश सं.84</u>

विषय: बोर्ड कार्यालय में अभियोजन सैल का गठन।

बोर्ड के दिनांक 12.06.2019 के पत्र सं.2012ई(जीसी)13-2(67) के अनुसार रेल पुलिस बल से अभियोजन संवर्ग के द्विभाजन के पश्चात, बोर्ड कार्यालय में अभियोजन सैल गठित करने का विनिश्चय किया गया है। यह सैल संयुक्त सचिव (गोपनीय) के अधीन कार्य करेगा और अभियोजन संवर्ग के स्थापना संबंधी सभी मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, क्षेत्रीय रेलों पर स्थापना संबंधी कार्य और अन्य प्रशासनिक कार्य रेलों/मंडलों के प्रशासनिक विभाग द्वारा ही देखे जाएंगे। अभियोजन सैल को सचिवालय संबंधी सहायता संयुक्त सचिव (गोपनीय) के अधीन एससीसी द्वारा प्रदान की जाएगी।

1.1 सचिव/रेलवे बोर्ड अभियोजन संवर्ग के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होंगे। हालांकि, तकनीकी मामले विधि सलाहकार/रेलवे बोर्ड द्वारा देखे जाएंगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

बी. मजुमदार
(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/ रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ओ&एम/2/6
दिनांक:- 30.12.2020

बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:
(i) अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड
(ii) सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/टीआरएस, सदस्य/ओ एंड बीडी
(iii) सचिव, रेलवे बोर्ड
(iv) संयुक्त सचिव/गोपनीय